विलोपित

विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(24)

प्रकरण क्रमांक:- । २०१६५ पुनरावलोकन (रिव्यु)
पुनर्वलोकन-0666/2019/ग्वालियर/भू.रा.सं.

श्री एस० के० अवस्थी अभि० द्वारा आज दि० 28-5-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-6-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-5-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

हवेलीराम मल्होत्रा पुत्र श्री लालचन्द मल्होत्रा,
ए-९, हरीओम कालोनी, मुरार, ग्वालियर-म०प्र० ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन,

२- छोटे सिंह पुत्र नवलसिंह, निवासी ग्राम-सुनारपुरा, सालसा, तहसील व जिला ग्वालियर-म०प्र० ।

------- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरावलोकन आवेदन-पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश (पीठासीन माननीय श्री मनोज गोयल अध्यक्ष) दिनांक १०-०७-२०१८, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ११४-पीबीआर।१६ निगरानी ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0666/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2019	आवेदक के विद्वान द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 114-पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	